प्रा० सं०- 281-1
10.10.07

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा... स्थापना

28

पत्र सं0–3/एम–162/05–का0– 2959
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

समाहरणालय मधेपुरा
2 4 SEP 2007

पटना–15, दिनांक– 31-8-07

विषय:– राज्यकर्मियों के निलम्बन अवधि के विनियमन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 दिनांक 13.7.2005 से प्रवृत है और सभी समूहों के राज्यकर्मियों के निलम्बन अवधि के विनियमन के संबंध में कार्रवाई भी उक्त नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है । परन्तु, यह पाया गया है कि जहाँ आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी चल रही है वहाँ विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलम्बन अवधि के संबंध में समुचित निर्णय नहीं लेकर, उसे आपराधिक कार्यवाही में निर्णय होने तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, अथवा यह निदेश दिया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

2. ज्ञातव्य है कि इस विभाग के पत्रांक 2324 दिनांक 10.7.2007 के अनुसार, जब किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाता है तो साथ–ही–साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जानी है । इस आलोक में आपराधिक मुकदमें लंबित रहने की स्थिति में भी विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है । चूँकि विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है, अतः निलम्बन अवधि के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकता है । निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय नहीं होने से विशेषकर सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामलों में सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान तथा इस अवधि के विनियमन के विषय में निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है ।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हो जाने की तिथि तक यदि आपराधिक मामले में निर्णय नहीं होता है तो वैसी स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 के अनुसार सरकारी कर्मी के निलम्बन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्पष्ट निर्णय लिया जाय । वैसे मामलों, जहाँ विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी गयी हो और मात्र आपराधिक कार्यवाही हो तथा अभियुक्त सरकारी सेवक को हिरासत में लिया गया हो तो हिरासत की अवधि के संबंध में निर्णय संबंधित आपराधिक मामले के निष्पादन के उपरान्त ही लिया जा सकेगा ।

4. कृपया उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 28-8-07
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

1498
24/9/07

1280

D:\Jha\3\letter to all Deptt for susjpension period.doc

ज्ञापांक–3/एम–162/05–का0– 2959 /पटना, दिनांक– 31.8.07

प्रतिलिपि–लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयो
पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बाल्मी, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी च
आयोग, पटना/राज्य आभलेखाकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव